BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 43 of 2025

IN THE MATTER OF:

DUSHYANT ROHTA …………APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ……..RESPONDENT(s)

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPIES OF NAJRI NAKSHA AND KHASRA KHATAUNI ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1(COLLY)	

3.	**COPIES OF THE NOTICES DT. 10.06.2024, 19.06.2024 AND 04.07.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2.**	
4.	**COPY OF THE APPLICATION DT. 22.02.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3.**	
5.	**COPY OF THE APPLICATION DT. 20.08.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-4.**	
6.	**COPY OF THE LETTER DT. 24.08.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-5.**	
7.	**COPY OF THE LETTER DT. 29.08.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-6.**	
8.	**COPY OF THE LETTER DT. 04.09.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-7**	
9.	**COPIES OF THE PHOTOGRAPHS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-8**	
10.	**COPY OF THE GOVERNMENT ORDER DT. 20.04.2017 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-9**	
11.	**COPY OF THE LETTER DT. 12.07.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-10**	

12.	**COPY OF THE LETTER DT. 05.02.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-11**	
13.	**COPIES OF THE LETTERS DT. 14.08.2024 AND 05.09.2024 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-12**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 08.05.2025

PLACE: MEERUT

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 43 of 2025

<u>IN THE MATTER OF:</u>

DUSHYANT ROHTA ……….APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS ……..RESPONDENT(s)

<u>RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 29.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI</u>

I, Vikas Kumar aged about 42 years S/o Shri Dhanesh Kumar, presently posted as Executive Engineer, Meerut Division Gangacanal do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

3. That in the present matter, the applicant has alleged encroachment on the land of the water body and that Krishna World Colony at Meerut is being unauthorizedly constructed on a public water drain at gata no. 346 area measuring 0.1260 hectares, Village-Murlipur Gulab, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh and irrigation canal gata no. 47, 48 and 49, Village-Shobhapur, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh. That the plea of the applicant is that public water drain and irrigation canal have been encroached upon while developing the residential colony.

I. <u>Details of Rajwaha Chap Salawa and Pathanpura Drain:</u>

4. That the Rajwaha Chap Salawa (Left Salawa) is an irrigation canal that originates from the left bank of the Upper Ganga Canal at chainage Km. 107.890. The total length of this canal is 33.386 km. At a certain location within Village Murlipur Gulab, a drain known as the Pathanpura Nala/Drain flows parallel to the Rajwaha Chap Salawa, the total length of which is approximately 4.200 km.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

5. That approximately at Km 26.855 of Rajwaha Chap Salawa (falling in Village Shobhapur) and Km. 3.130 of the Pathanpura Drain (falling in Village Murlipur Gulab), the private developer has undertaken the development of a colony known as *"Krishna world Colony"*.

II. **Encroachment Status:**

6. That as per the Shajra Sheet, *Gata No. 346* in Village Murlipur Gulab, Tehsil and District Meerut, through which the Pathanpura Drain flows, has a total area of 0.1280 hectares. That the Pathanpura Drain is flowing through this land. There is no encroachment on the entire area of *Gata No. 346*, but at Km 3.130 of the Pathanpura Drain, a culvert (pulia) has been constructed by the said private colonizer in the year 2024 to facilitate entry / exit into the colony.

7. That similarly, at *Gata No. 889* in Village Shobhapur, Tehsil and District Meerut having total area of 0.1770 hectares, through which the Rajwaha Chap Salawa flows. That there is no encroachment on the area of *Gata No. 889*, however, at Km. 26.855 of the Rajwaha Chap Salawa, a culvert (pulia) has been constructed by the said private colonizer in the year 2024 to facilitate entry / exit into the colony.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

8. Further, *Gata No. 47* (having total area of 0.6580 ha) and *Gata No. 49* (having total area of 0.6450 ha) form part of the banks of Rajwaha Chap Salawa and *Gata No. 48* (having total area of 0.5820 ha) form part of canal channel of Rajwaha Chap Salawa and are under the administrative jurisdiction of the Irrigation Department, it is submitted that no encroachment has taken place on these specific parcels of land.

Copies of the Najri Naksha and Khasra Khatauni have been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

III. Action Initiated Against the Encroacher with respect to the Pathanpura Drain:

9. That upon detection of the construction of the culvert (puliya) at Km. 3.13 of the Pathanpura Drain, the following steps were undertaken against the enchroacher :

- Notice dated 10.06.2024 issued by the Ziledar, Mator, Meerut Division, Ganga Canal;
- Reminder notice dated 19.06.2024 by the same office;
- Notice dated 04.07.2024 issued by the Assistant Engineer-IV, Meerut Division, Ganga Canal, calling upon the said encroacher to remove the unauthorised structure.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

Copies of the notices dt. 10.06.2024, 19.06.2024 and 04.07.2024 have been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

10. Subsequently, on 22.02.2024, the Ziledar, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut, submitted an application to the concerned police station for lodging an FIR against the said encroacher.

A Copy of the application dt. 22.02.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

IV. <u>Action Initiated Against the Encroacher with respect to the Rajwaha Chap Salawa:</u>

11. That similarly, to remove the culvert (pulia) constructed at Km. 26.855 of the Rajwaha Chap Salawa, a joint application was submitted by the Seenchpal, Seench Parvekshak (Irrigation Supervisor) and Ziledar, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut to the Station Officer, Police Station Kankarkheda on 20.08.2024, requesting the registration of an FIR against the said encroacher.

A Copy of the application dt. 20.08.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4.**

12. Thereafter, the Deputy Revenue Officer-I, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut vide letter dt. 24.08.2024 also sent a request to the Station Officer, Police Station Kankarkheda seeking registration of FIR against the said encroacher.

A Copy of the letter dt. 24.08.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-5.**

13. Subsequently, the Assistant Engineer-IV, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut has written a letter dt. 29.08.2024 to the Circle Officer, Daurala, District Meerut requesting the registration of the FIR.

A Copy of the letter dt. 29.08.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6.**

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

14. Thereafter, the Executive Engineer, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut has written a letter dt.04.09.2024 to the Senior Superintendent of Police, Meerut, requesting registration of an FIR against the said encroacher.

A Copy of the letter dt. 04.09.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-7.**

V. <u>Visit on 02.09.2024 (For Demolition):</u>

15. That on 02.09.2024, the concerned officers of the Irrigation Department reached the said site with a hydra breaker machine and commenced the process to demolish both the culverts (pulias). However, as soon as the work began, the concerned several local people gathered and began

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No. 50269/2025 GOVT. OF INDIA

strongly resisting the demolition drive. That due to the absence of police force, the departmental team had to suspend the demolition activity.

Copies of the Photographs have been annexed herewith as **ANNEXURE A-8.**

VI. <u>Constitution of Committee for Removal of Encroachments:</u>

16. That it is relevant to mention that as per the Government Order dt. 20.04.2017, a committee was constituted by the Office of the District Magistrate, Meerut vide letter dated 12.07.2024 for removing encroachments on the properties belonging to the Irrigation Department. That as soon as administrative support and police force are received, the action to demolish the encroachment will be completed.

A Copy of the Government Order dt. 20.04.2017 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-9.**

A Copy of the letter dt. 12.07.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-10.**

VII. <u>Request for Administrative and Police Support:</u>

17. That in pursuance thereof, the Executive Engineer, Meerut Division, Ganga Canal, Meerut, has written a letter dt. 05.02.2025 to the District Magistrate and the Senior Superintendent of Police, requesting them to

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

appoint an administrative officer as a representative for the removal of the encroachments in the present matter.

A Copy of the letter dt. 05.02.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-11.**

VIII. Timely Disposal of IGRS Complaints:

18. That it is most respectfully submitted that regarding the IGRS complaint No. 40013824022154 mentioned in the petition by the petitioner, the matter was resolved timely by the Irrigation Department vide letter dated 14.08.2024. And also That the IGRS complaint No. 60000240160004 mentioned in the petition by the petitioner, the matter was resolved timely by the Irrigation Department vide letter dated 05.09.2024. That the representations were submitted by the petitioner on 08.07.2024 and 09.07.2024, were also disposed of by the Irrigation department in a timely manner.

A Copy of the letter dt. 14.08.2024 and dt. 05.09.2024 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-12.**

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

19. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any

further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay.

20. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Meerut on this 07 day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 20 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

ATTESTED NOTARY SURESH KUMAR Reg.-50269/2025 GOVT. OF INDIA MEERUT Off Mob.- 9897887596

Serial No. 01 Book No. 01
Date 07/5/25
Registration No.- 50269/2025
Chamber No.-1, Jain Milan Pyau Chopla, Collectorate, Meerut - 250001

Name ... Residence ... Identified by ... Date 07 Month 05 Year 25

SURESH KUMAR Advocate, NOTARY Meerut

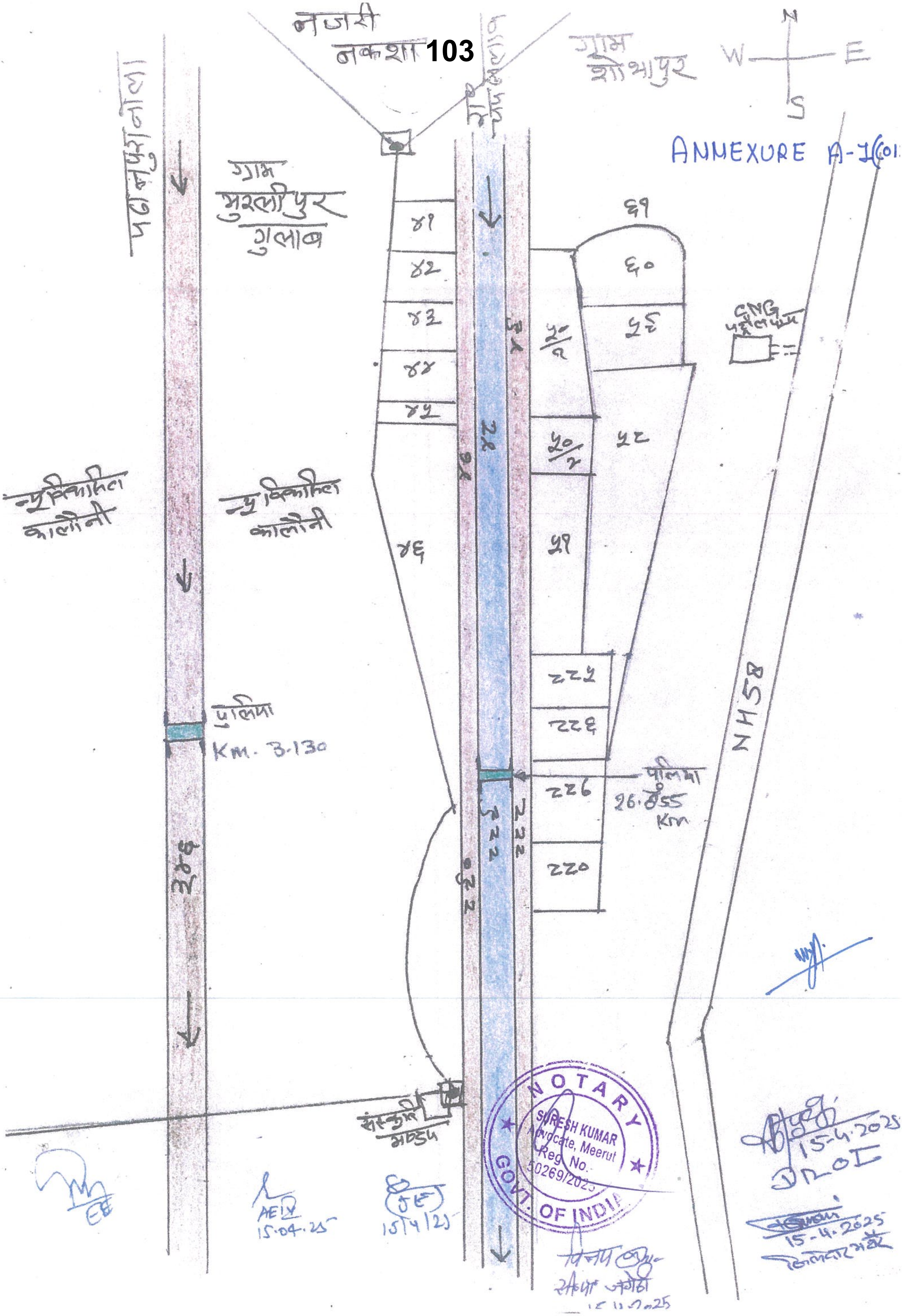
नजरी नक्शा
ग्राम शोभापुर
N
W
E
S
ANNEXURE A-1
ग्राम मुरलीपुर गुलाब
न्यू विकास कालोनी
न्यू विकास कालोनी
४१
४२
४३
४४
४५
४६
६१
६०
५८
५१
२२५
२२६
२२७
२२०
CNG पेट्रोल पम्प
पुलिया
Km. 3.130
पुलिया
26.855 Km
NH58
NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.
50269/2025
GOVT. OF INDIA
EE
AE IV
15.04.25
JE
15/4/25
15-4-2025
15-4-2025

संलग्नक - 1

भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

22/April/2025 02:17:23 PM

← Back

जनपद: मेरठ
तहसील: सदर
ग्राम: मुरलीपुर गुलाब
ग्राम कोड: 219035
फसली वर्ष: 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)
खाता संख्या: 00196

श्रेणी : 6-1/अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रवंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
346	1) नाला राजकीय सम्पति / /			346 (2190350346000061)	0.1260	1) 1/1	1) 0.1260	0.00

संलग्नक -2

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

23/April/2025 04:51:51 PM

Back

जनपद: मेरठ

ग्राम कोड: 219050

तहसील: सदर

फसली वर्ष: 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

ग्राम: शोभापुर

खाता संख्या: 00543

श्रेणी : 6-1/अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
889	1) राजबाहा (राजकीय सम्पति) / . / .			889 (21905008890000061)	0.1770	1) 1/1	1) 0.1770	0.00

संलग्नक - 3

भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

22/April/2025 02:28:32 PM

Back

जनपद: मेरठ

ग्राम कोड: 219050

तहसील: सदर

फसली वर्ष: 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

ग्राम: शोभापुर

खाता संख्या: 00556

श्रेणी : 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रवंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड) कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त / विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
47	1) पटरी नहर (मिलकियत सरकार) / /			47 (219050004700064)	0.6580	1) 1/1	1) 0.6580	0.00

ANNEXURE A-2

चेतावनी / नोटिस

अतिक्रमण स्थल का विवरण

नाला पठानपुरा तहसील सदर मेरठ, जिला मेरठ।

अतिक्रमणकर्ता का नाम व पता:- सूरज यादव (गार्डन सिटी होम्स [illegible]).

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सिंचाई विभाग के नाला पठानपुरा की राजकीय भूमि पर बिना विभागीय अनुमति के पक्की पुलिया / ह्यूम पाईप आदि के द्वारा अवैध अतिक्रमण / कब्जा किया हुआ है। जिसके कारण नाला पठानपुरा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किये गये उक्त अवैध अतिक्रमण को आगामी एक सप्ताह के अन्दर हटा लिया जायें। अन्यथा आपके विरूद्ध कैनाल एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही कर उक्त अवैध अतिक्रमण को सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत रखते हुए हटा दिया जायेगा। जिसके हर्जे–खर्चे की वसूली आपसे की जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगें।

दिनांक:- 10/06/2024

o/c

(signature)

जिलेदार मटौर

मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

(signature)

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.- 50269/2025
GOVT. OF INDIA

अन्तिम नोटिस

ANNEXURE A-2

अतिक्रमण स्थल का विवरण

नाला पठानपुरा तहसील सदर मेरठ, जिला मेरठ।

अतिक्रमणकर्ता का नाम व पता:- सूरज यादव (गार्डन सिटी होमर्स कालोनी)

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सिंचाई विभाग के नाला पठानपुरा की राजकीय भूमि पर बिना विभागीय अनुमति के पक्की पुलिया/हयूम. पाईप आदि के द्वारा अवैध अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ है। जिसके कारण नाला पठानपुरा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी कई बार नोटिस चस्पा कर सूचित किया गया है, परन्तु आज तक भी आपके द्वारा उवत्त अवैध अतिक्रमण/कब्जा को नही हटाया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में आपको पुनः अन्तिम चेतावनी नोटिस को चस्पा कर सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किये गये उक्त अवैध अतिक्रमण को आगामी 05 दिवस के अन्दर हटा लिया जायें। अन्यथा आपके विरूद्व. कैनाल एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही/मुकदमा कर उक्त अवैध अतिक्रमण को सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत रखते हुए हटा दिया जायेगा। जिसके हर्जे-खर्चे की वसूली आपसे की जायेंगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

दिनांकः- 19/06/2024 ह/०

जिलेदार भटीर
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.
50269/2025
GOVT. OF INDIA

चेतावनी / नोटिस

ANNEXURE A-2

अतिक्रमण स्थल का विवरण
नाला पठानपुरा तहसील सदर मेरठ, जिला मेरठ।

अतिक्रमणकर्ता का नाम व पता:- सूरज यादव (गार्डन सिटी हिमगिरि कालोनी)

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सिंचाई विभाग के नाला पठानपुरा की राजकीय भूमि पर बिना विभागीय अनुमति के पक्की पुलिया/हयूम पाईप आदि के द्वारा अवैध अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ है। जिसके कारण नाला पठानपुरा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किये गये उक्त अवैध अतिक्रमण को आगामी 07 (सात) दिवस के अन्दर हटा लिया जायें। अन्यथा कि स्थिति में आपके द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को सरकार की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत रखते हुए हटा दिया जायेगा। जिसके हर्जे–खर्चे की वसूली आपसे की जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

दिनांक:- 04/07/2024

%

सहायक अभियन्ता–चतुर्थ
मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ।

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2023
GOVT. OF INDIA

सेवा मे

ANNEXURE A-3

श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय
थाना - कंकरखेडा, जनपद - मेरठ

विषय :- नाला पठानपुरा पर गार्डन सिटी होमस कलोनी मे बनाये जा रहे अवैध पुल के सम्बन्ध मे

महोदय, अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग का नाला पठानपुरा जो आपके कार्यक्षेत्र मे शोभापुर पुलिस चौकी के पास संस्कृति रिसोर्ट के पिछे से निकलता है। जहाँ पर कुछ बिल्डरों द्वारा गार्डन सिटी होमस नाम से एक कलोनी विकसीत कि जा रही है सिंचाई विभाग का नाला जो इस कालोनी के अन्दर से गुजरता है पर बिल्डर सुरज यादव व अन्य द्वारा अवैध पुल का निर्माण किया जा रहा है। जो राजकिय सम्पत्ति पर अवैध कब्जे कि श्रेणी मे आता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त अवैध पुल निर्माताओं के खिलाफ संवैधानिक सुसंगत धाराओं मे प्राथमिकी दर्ज कर कानुनी कार्यवाही करने कि कृपा करे।

Received
22/02/2024
थाना - कंकरखेडा जनपद - मेरठ

का० सिलेदार चतुर्थ मंडीर
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.- 50269/2025
GOVT. OF INDIA

Counter No:1, 21/08/2024 [illegible]
To:S.H.O.,KANKARKHERA THANA
PIN:250001
From:JITENDRA KUMAR,MALIYANA
Wt:10gms
Track on www.indiapost.gov.in

ANNEXURE A-4

सेवा मे,

श्री मान थाना अध्यक्ष महोदय
कंकरखेड़ा थाना
जिला मेरठ,

विषय:- ग्राम शोभापुर मे सिंचाई विभाग के राजवाहा -चप-सलावा के km-26.855 पर अवैध पुल डाले जाने के सम्बन्ध मे,

महोदय,

अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग के राजवाहा -चप-सलावा के km-26.855 पर अवैध पक्के पुल का निर्माण किया गया है जो कि ग्राम शोभापुर के रकबे मे स्थित है मौके पर देख-ताड़ करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त पुल का निर्माण गार्डन सिटी होमस कालोनी के मालिको द्वारा कराया जा रहा है जिसके मुख्य मालिक का नाम सूरज यादव ज्ञात हुआ है महोदय आपसे अनुरोध है कि उक्त अवैध पुल के निर्माण कर्ताओ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओ मे कानूनी/संवैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

[signature] 20/08/2024
सींचपर्यवेक्षक हल्का मेरठ
मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ
9411666809

Jitendra 20/8/24
लेखपाल
मलियाना/जागृति
मेरठ खण्ड गंगा नहर
(मेरठ)
8439682055

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.: 50269/2025
GOVT. OF INDIA

प्रेषक,

उपराजस्व अधिकारी-प्रथम
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

ANNEXURE A-5

प्रेषित,

श्रीमान थाना अध्यक्ष
कंकरखेड़ा, मेरठ

पत्रांकः /उ0रा0अधि0प्रथम दिनांकः

विषयः राजबाहा चपसलावा के कि0मी0 26.855 पर अवैध पुल के निर्माण को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत कार्यालय जिलेदारी मटौर के कार्यक्षेत्र में राजबाहा चपसलावा के कि0मी0 26.855 पर अवैध पक्के पुल का निर्माण किया गया है जोकि ग्राम शोभापुर के रकबे में स्थित है। उक्त पुल का निर्माण गार्डन सिटी होम्स कलॉनी के मालिकों द्वारा कराया गया है गार्डन सिटी होम्स कलॉनी के मालिक का नाम सूरज यादव ज्ञात हुआ है। उनके द्वारा विभाग की बिना अनुमति के अवैध पुलिया का निर्माण कराया गया है। अवैध पुलिया का निर्माण करने वाले व्यक्ति के विरुध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकि दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित सींचपाल श्री जितेन्द्र कुमार चौकी मलियाना जंगेठी (8439682055), श्री कपिल गोस्वामी सींचपर्यवेक्षक हल्का मेरठ (9411666809) के द्वारा दिनांक 21.08.2024 को रजिस्ट्री डाक द्वारा आपके थाने को प्रार्थना-पत्र दिया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिलेदार एवं सींचपाल के द्वारा प्रस्तुत की गयी प्राथमिकि को तत्काल दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- प्राथमिकी की छायाप्रति।

उपराजस्व अधिकारी-प्रथम
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

पत्रांकः 321 /उ0रा0अधि0प्रथम/तदिनांक- 25-08-24

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधिशासी अभियन्ता मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ।
2. सहायक अभियन्ता-चतुर्थ मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ को इस आशय से प्रेषित है कि आप सम्बन्धित अवर अभियन्ता को प्राथमिकी दर्ज कराने एवं अवैध अतिक्रमण हटाने में जिलेदार का सहयोग प्रदान कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. जिलेदार मटौर मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आप थाना कंकरखेड़ा मेरठ मे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

उपराजस्व अधिकारी-प्रथम
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

29.8.24

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता चतुर्थ
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

ANNEXURE A-6

प्रेषित,

पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय
दौराला जनपद मेरठ।

पत्रांकः 445/सहा0अभि0चतुर्थ/ दिनांकः 27/8/2024

विषयः राजवाहा चपरालावा के कि0मी0 26.855 पर अवैध पुल बनाये जाने पर प्राथमिकि दर्ज कराने के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस उपखण्ड कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजवाहा चपरालावा के कि0मी0 26.855 (वाईपास पर संस्कृति रिसॉर्ट के पास) पर अवैध पक्के पुल का निर्माण गार्डन सिटी होगरा के मुख्य मालिक श्री सूरज यादव द्वारा विभाग की बिना अनुमति के कराया गया है। यहा यह भी अवगतनीय है कि अवैध पुलिया का निर्माण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मे प्राथमिकि दर्ज कर कानुनी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय मे कार्यरत श्री कपिल गोस्वामी कार्यवाहक जिलेदार मटौर एवं श्री जितेन्द्र कुमार सींचपाल चौकी मलिययाना–जंगेठी द्वारा दिनांक 21.08.2024 को रजिस्ट्री डाक द्वारा थाना कंकरखेडा को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा चुका है। (छाया प्रति संलग्न) .

अतः आप से अनुरोध है कि अवैध पुलिया का निर्माण करने वाले उक्त व्यक्ति के नाम सुसंगत धाराओं मे प्राथमिकि दर्ज करने हेतु थानाध्यक्ष थाना कंकरखेडा को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

सहायक अभियन्ता–चतुर्थ
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

पत्रांकः 445/ सहा0अभि0चतुर्थ/हिन्दी/तदिनांकः 29/8/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।
2. जिलेदार मटौर/जू0ई0 मेरठ अनुभाग को उनके पत्रों के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रकरण मे सम्बन्धित कार्यालय में व्यक्तिगत सर्म्पक कर के प्राथमिकि दर्ज कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें व कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

सहायक अभियन्ता–चतुर्थ
मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2025
OF INDIA

अधिशासी अभियन्ता,
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।

ANNEXURE A-7

प्रेषित,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मेरठ।

पत्रांकः /मेखगंनने/ दिनांकः .09.2023

विषयः राजवाहा चपसलावा के कि0मी0 26.855 पर अवैध पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ का पत्रांक 448, 41 दिनांक 29.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो पुलिस क्षेत्राधिकारी, दौराला जनपद मेरठ को सम्बोधित एवं अन्य के साथ-साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त विषयक अवगत कराया गया है कि राजवाहा चप सलावा के कि0मी0 26.855 (बाईपास पर संस्कृति रिसॉर्ट के पास) पर अवैध पक्के पुल का निर्माण गार्डन सिटी होमस के मुख्य मालिक श्री सूरज यादव द्वारा विभाग की बिना अनुमति के कराया गया है। सम्बन्धित आरोपी के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष से अनुरोध किया गया है परन्तु उनके द्वारा वर्तमान तक भी आरोपी के विरूद्ध कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नही की गयी है जिसके क्रम में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी, दौराला से भी सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 02-09-2024 को सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त मौके पर अवैध पुलिया को तोड़ने गये परन्तु भारी विरोध होने के कारण उन्हे वहाँ से लौटना पड़ा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थल से अवैध पुलियाँ को हटवाने हेतु प्रर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराने तथा आरोपियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें जिससे विभागीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सकें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

पत्रांकः 4829 /मेखगंनने/तद्दिनांक 04/9/24।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ में सम्पर्क स्थापित कर वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

2- उपराजस्व अधिकारी-प्रथम, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

3- पुलिस क्षेत्राधिकारी, दौराला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराने एवं आरोपियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

04-9-24

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Meerut Reg. No. 50269/2025 OF INDIA

ANNEXURE A-8

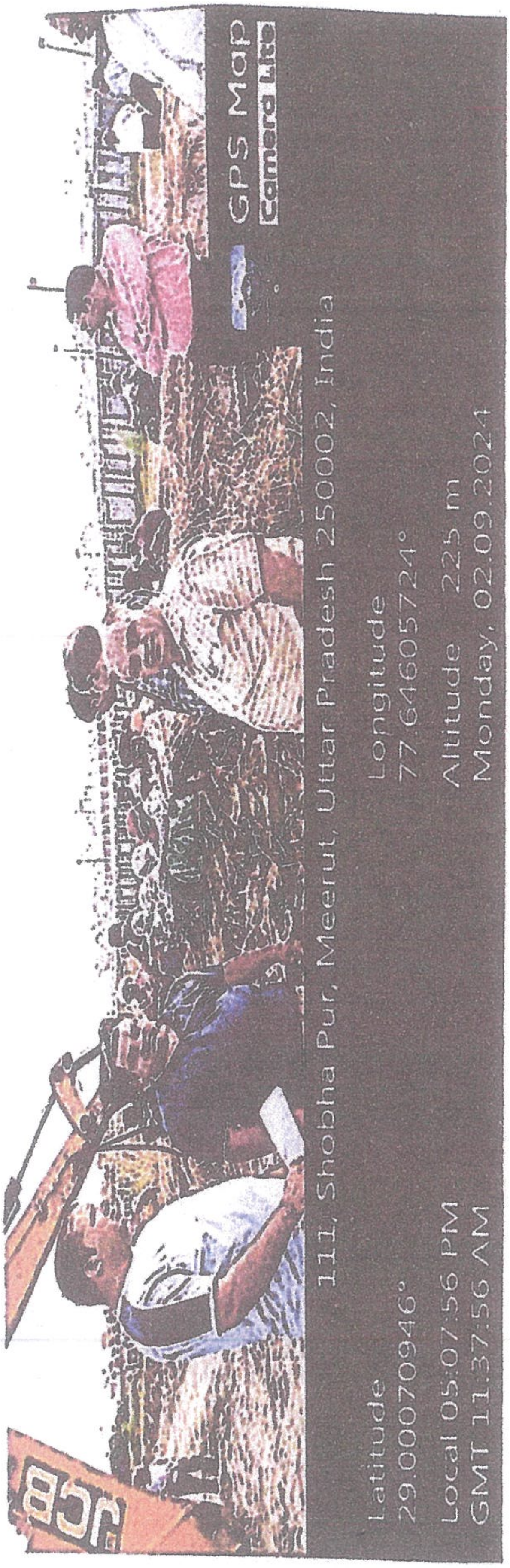

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE A-9

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3
संख्या-15/415/17-27-सिं-3-24एल/17
लखनऊ, दिनांक 20 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के बन्धे/जलाशय में निहित भूमि, नहरें, निरीक्षण भवन, ईट-भठ्ठे, आवासीय/अनावासीय परिसर, निष्प्रयोज्य नहरें व नदी-नाले के रूप में अत्यधिक मूल्यवान परिसम्पत्तियाँ स्थित हैं। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता एवं कहीं-कहीं इनकी संलिप्तता के कारण कतिपय परिसम्पत्तियों पर अराजक एवं अपराधी तत्वों द्वारा कब्जा/अतिक्रमण कर दुरूपयोग किए जाने की शिकायतें शासन में प्राप्त होती रहती हैं। अवैध कब्जे/अतिक्रमण की रोकथाम एवं विभागीय परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है।

2- अतएव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भूमि एवं अन्य परिसम्पत्तियों को अभियान चलाकर उनका चिन्हांकन करने एवं उन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाने की कार्यवाही को तत्परतापूर्वक सम्पादित एवं अनुश्रवण करने हेतु श्री राज्यपाल प्रत्येक जनपद में निम्न प्रकार से समिति गठित किए जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

(1)	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
(2)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी,	सदस्य
(3)	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी,	सदस्य
(4)	सम्बन्धित उप राजस्व अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,	सदस्य
(5)	चकबन्दी एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी,	सदस्य
(6)	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।	सदस्य सचिव

3- उपरोक्त समिति प्रतिमाह नियमित रूप से बैठक करेगी तथा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जनपद में स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की कुल परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में सूचना/विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा :-

जनपद का नाम	परिसम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल	चिन्हांकन में अवैध कब्जे/अतिक्रमण में पाई गई परिसम्पत्तियों की संख्या/ क्षेत्रफल	अवैध कब्जे/अतिक्रमण से मुक्त कराई गई परिसम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Regn. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- जनपद से सूचना/विवरण प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित करने का दायित्व जनपद में सिंचाई विभाग के नोडल अधिशासी अभियन्ता का होगा। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष प्रदेश के सभी जनपदों की संकलित सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख को शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5- उपरोक्त आदेश/निर्देश का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी स्तर पर शिथिलता या उदासीनता पाई जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्या-15/415(1)/17-27-सिं-3, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ प्रेषित :-

(1) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
(5) समस्त मुख्य अभियन्तागण, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) उप निदेशक (भूमि अध्याप्ति), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शम्भू नाथ
सचिव

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate Meerut
Reg. No.-
50269/2023
GOVT. OF INDIA

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ

संख्याः / /2023-24, दिनांकः मेरठ जुलाई, 2024

विषयः- मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के राजवाहा चप सलावा, राजवाहा मेरठ, राजवाहा लोअर दौराला एवं खडौली नाले पर विभिन्न स्थानों पर अवैध पुल/पुलियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3, संख्या 15/415/17-27-सिं-3-24एल/17 लखनऊ, दिनांक 20 अप्रैल 2017

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
उपजिलाधिकारी, सदर।
उपराजस्व अधिकारी-प्रथम, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।
चकबन्दी एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी, मेरठ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेश का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सन्दर्भित शासनादेश अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के बन्धे/जलाशय में निहित भूमि, नहरें, निरीक्षण भवन, ईट-भट्ठे, आवासीय/अनावासीय परिसर, निष्प्रयोज्य नहरें व नदी-नाले के रूप में अत्याधिक मूल्यवान परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु निम्न कमेटी का गठन किया गया है, जो निम्नप्रकार हैः-

1	जिलाधिकारी, मेरठ	अध्यक्ष
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।	सदस्य
3	उपजिलाधिकारी, सदर।	सदस्य
4	उपराजस्व अधिकारी-प्रथम, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।	सदस्य
5	चकबन्दी एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
6	अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ।	सदस्य सचिव

उपरोक्त विषय मे अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा सिंचाई विभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत राजवाहा चप सलावा, राजवाहा मेरठ एवं खडौली नाले पर विभिन्न स्थानों पर अवैध पुल/पुलियों को तुड़वाने हेतु पुलिस/प्रशासनिक सहयोग की वांछना की गयी है।

अतः उक्त के क्रम में एक बैठक दिनांक 16/07/2024 को 5:30 बजे आहुत की गयी है जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है।

जिलाधिकारी,
मेरठ

पत्रांकः 3835 /तद्दिनांक 12/7/24

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ को उनके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त तिथि मे प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली सहित बैठक मे प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

12/7/2024
जिलाधिकारी,
मेरठ

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE A-11

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।

प्रेषित,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मेरठ।

पत्रांकः /मेखंगंनमे/अवैध अतिक्रमण, दिनांकः .01.2025

विषयः मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के राजवाहा चप सलावा एवं राजवाहा मेरठ पर विभिन्न स्थानों पर अवैध पुल/पुलियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः इस कार्यालय का पत्रांक 3720/मेखगनमें, दिनांक 09.07.2024, पत्रांक सी-129/मेखगनमें/कैम्प, दिनांक 29.04.2024, पत्रांक 3223/मेखगनमें/अवैध अतिक्रमण, दिनांक 03.06.2023, पत्रांक 2327/मेखगनमें, दिनांक 14.05.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त विषयक अवगत कराना है कि मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के राजवाहा चप सलावा एवं राजवाहा मेरठ पर विभिन्न स्थानों पर अवैध पुल/पुलियों का निर्माण हुये लगभग 06 से 07 वर्ष हो चुके है। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सम्बन्धित स्टाफ को अवैध कब्ज़ा/अतिक्रमण हटवाने हेतु भेजा गया था परन्तु स्थानीय लोगों के भारी विरोध के कारण उन्हें बिना कार्यवाही के लौटना पड़ा। तदोपरान्त उनके द्वारा सम्बन्धित थाना से पुलिस बल के सहयोग हेतु प्रयास किया गया परन्तु सम्बन्धित थाने द्वारा उनके अनुरोध पर कोई विचार नही किया गया और न ही अवैध कब्ज़ा/अतिक्रमण हटवाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराया गया। अतिक्रमण हटाने हेतु इस खण्ड के सम्बन्धित राजस्व कर्मियों द्वारा प्रयास किये जा रहे है परन्तु भूमि पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त नही हो पा रही है। विभागीय कर्मचारियों द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु कब्ज़ाधारियों से वार्ता कर कब्ज़ा मुक्त कराने हेतु प्रयास किये गये परन्तु सफलता प्राप्त नही हो पायी।

सम्बन्धित जिलेदार द्वारा थाना में सम्पर्क किया गया परन्तु उनके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने से मना कर दिया गया तथा तहरीर भी नही ली गयी तदोपरान्त पंजीकृत डाक से तहरीर थाने को प्रेषित की गयी है। बिना पुलिस सहयोग के उक्त अवैध अतिक्रमण को हटवाना सम्भव नही हो पा रहा है।

माईनर/राजवाहो के आबादी में आने के कारण रात के समय अवैध पुल/पुलियों का निर्माण कर लिया जाता है तथा प्रयाप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण तथा मौके पर भारी विरोध होने के कारण अवैध अतिक्रमण शीघ्र हटवाना सम्भव नही हो पा रहा है।

वर्तमान में सहायक अभियन्ता-चतुर्थ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 24.01.2025 के निरीक्षण में ग्राम मलियाना राजवाहा मेरठ के कि0मी0 1.5 के आसपास राजवाहा मेरठ में अवैध ह्यूम पाईप डाले पाये गये जिन्हे हटवाने हेतु दिनांक 26.01.2025 को सम्बन्धित स्टाफ के साथ जे0सी0बी0 मशीन एवं हाईड्रा मशीन लेकर उक्त ह्यूम पाईप को निकलवाने हेतु मौके स्थल पर पहुंचे परन्तु वहा लोगो की भीड़ द्वारा उक्त पाईप को निकलवाने का भारी विरोध किया गया तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के साथ अभ्रदता की गयी जिसके बाद टीम को वहाँ से वापिस आना पड़ा। सम्बन्धित स्टाफ द्वारा थाना ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ में सम्पर्क किया गया परन्तु उनके द्वारा कोई सहयोग नही किया गया।

क्रमश............02

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No. 00269/2025
GOVT. OF INDIA

अतः आपसे निवेदन है कि अपने स्तर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को उक्त समस्त अवैध अतिक्रमण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें तथा सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को प्रयाप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें जिससे उक्त समस्त अवैध अतिक्रमण को हटवाया जा सकें तथा आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकें।

उपरोक्त अतिक्रमण को हटवाने हेतु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कमैटी निम्नप्रकार है। निम्न कमैटी पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अवैध कब्जे/अतिक्रमण को हटवाने हेतु मशीन, लेबर व अन्य वांछित उपकरण सहित उपस्थित रहेगी। कमैटी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री सतेन्द्र कुमार	सहायक अभियन्ता-चतुर्थ	8299866010
2	श्री अम्बरीष कुमार त्यागी	उपराजस्व अधिकारी-प्रथम	9412631369
3	श्री कपिल गोस्वामी	कार्यवाहक जिलेदार	9411666809
4	श्री हिमांशु शर्मा	अवर अभियन्ता	7668667128

अतः आपसे अनुरोध है कि कावड़ यात्रा से पहले ही प्रयाप्त मात्रा में पुलिस-प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 संख्या-15/415/17-27-सिं-3-24एस/17 लखनऊ, दिनांक 20 अप्रैल 2017 के निर्देशों के क्रम में अपने स्तर से किसी अधिकारी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुये उक्त अवैध पुल-पुलियों को हटवाने हेतु स्थल पर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें जिससे उक्त अतिक्रमण को हटवाया जा सकें।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

पत्रांकः 591 /मेखंगंनमे/तदिनांक 05/07/25।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल सिंचाई कार्य, मेरठ।
3- उपजिलाधिकारी, सदर, जनपद मेरठ।
4- क्षेत्राधिकारी, दौराला/कंकरखेड़ा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त अतिक्रमण को हटवाने हेतु प्रयाप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
5- सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप पुलिस/प्रशासनिक सहयोग हेतु उपरोक्त अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करना सुनिश्चित करें तथा अतिक्रमण को हटवाना सुनिश्चित करें।
6- उपराजस्व अधिकारी-प्रथम, मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्त कार्य में सहायक अभियन्ता को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
7- थानाध्यक्ष, थाना कंकरखेड़ा/ जनपद मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA

ANNEXURE A-12

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।

प्रेषित,

जिलाधिकारी
मेरठ।

पत्रांक :-५५३/मेखगंनमे/आई0जी0आर0एस0 दिनांक 15/08/2024

विषयः ऑनलाईन सन्दर्भ संख्या-40013824022154 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाईन सन्दर्भ संख्या-40013824022154 का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके द्वारा शिकायतकर्ता श्री दुष्यंत रोहटा मोबाइल नम्बर-(9837572425) पता- गगन विहार मेरठ द्वारा अतिक्रमण हटवाने के संबंध मे शिकायत की है। इस संबंध में अवगत कराना है कि अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही प्रगति मे है। अतिक्रमणताओ के विरूद्द लगातार समय समय पर चेतावनी/नोटिस जारी किये जा रहे है व यहां यह भी अवगतनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक महोदय, मेरठ को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटवाने मे सहयोग हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति को पुलिस बल प्राप्त होते ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर शीघ्र कर दी जायेगी।

अतः उक्त प्रकरण को निस्तारण की श्रेणी में मानते हुए निक्षेपित करने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate Meerut
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA

(91)

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
मेरठ खण्ड गंगा नहर,
मेरठ।

प्रेषित,

जिलाधिकारी
मेरठ।

पत्रांक :-4848/मेखगंनमे/आई0जी0आर0एस0 दिनांक 05/09/2024

विषयः ऑनलाईन सन्दर्भ संख्या-60000240160004 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ऑनलाईन सन्दर्भ संख्या-60000240160004 का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके द्वारा शिकायतकर्ता श्री दुष्यंत रोहटा मोबाइल नम्बर-(9837572425) पता- गगन विहार मेरठ द्वारा पठानपुरा नाले पर अवैध कब्जा व सरकारी चकरोड पर अवैध कब्जा होने के संबंध मे शिकायत की है। इस संबंध में इस खण्ड के सहायक अभियन्ता चर्तुथ मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक प्रकरण पर इस कार्यालय में कार्यरत सम्बन्धित जिलेदार द्वारा दोषी व्यक्ति के नाम प्राथमिकि दर्ज करने हेतु रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक-21.08.2024 को थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है व इस सम्बन्ध मे इस कार्यालय द्वारा दिनांक-29.08.2024 को पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, दौराला जनपद मेरठ को पत्र के माध्यम से वास्तु स्थिति से अवगत करा दिया है व दोषी व्यक्ति के नाम प्राथमिकि दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है। यहां यह भी अवगतनीय है कि दिनांक-02.09.2024 को विभागीय टीम द्वारा हाइड्रा ब्रेकर मशीन के साथ मौका स्थल पर पहुंच कर उक्त अवैध पुलिया को ध्वस्त कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु कार्यवाही प्रारम्भ करते ही सम्बन्धित अवैध अतिक्रमणर्ता द्वारा अपने अनेक लोगो के साथ भारी विरोध एंव विभागीय टीम के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया, (फोटोग्राफ्स संलग्न) जिस कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के दृष्टिगत विभागीय टीम के साथ पुलिस बल ना होने की वजह से टीम को मौका स्थल से वापिस आना पड़ा। पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध होने पर पुनः धवस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः-फोटोग्राफ्स

अतः उक्त प्रकरण को निस्तारण की श्रेणी में मानते हुए निक्षेपित करने की संस्तुति की जाती है।

SEEN FILE

EE

भवदीय

05/09/24

अधिशासी अभियन्ता
मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA